अध्याय-6

सहकारी सोसाइटियों के विशेषाधिकार

Chapter-VI

Privileges of Co-operative Societies

38. कतिपय आस्तियों पर सहकारी सोसाइटी का प्रथम भार— (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु भू-राजस्व या भू-राजस्व के रूप में वसूलीय किसी धन के संबंध में सरकार के किसी पूर्व दावे के अध्यधीन रहते हुए -

(क) किसी भी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य, मृत सदस्य या ऐसे किसी व्यक्ति, जिसने ऐसे ऋण या मांग के प्रतिसंदाय के लिए उसकी प्रत्याभूति का निष्पादन किया है, द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी को देय कोई भी ऋण या बकाया मांग, ऐसी फसलों और अन्य कृषि उपज, पशु, पशुओं के चारे, कृषिक या औद्योगिक उपकरणों या मशीनरी, विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री और ऐसी कच्ची सामग्री से विनिर्मित किन्हीं भी तैयार उत्पादों या सम्पत्ति या उधार/ऋण से सृजित आस्तियों में हित या, यथास्थिति, प्रतिभूति के रूप में बंधकित सम्पत्ति, जो ऐसे सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या उसके प्रत्याभूति-दाता/प्रतिभू की है या मृत सदस्य की आस्तियों की भागरूप है, पर प्रथम भार होगी;

(ख) अपने सदस्यों के लिए निवास गृह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित किसी सहकारी सोसाइटी को, किसी भी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा, किराये, शेयरों, उधारों या क्रय धन या किन्हीं भी अन्य अधिकारों या ऐसी सोसाइटी को संदेय रकम के संबंध में कोई भी बकाया मांग या संदेय राशियां सोसाइटी की स्थावर सम्पत्ति में उसके हित पर प्रथम भार होंगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन सृजित भार, राजस्थान कृषि उधार अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 1) के अधीन मंजूर किये गये उधार से उद्‌भूत सरकार के किसी भी दावे के विरुद्ध सोसाइटी द्वारा उधार मंजूर किये जाने के पश्चात् उपलब्ध रहेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी सम्पत्ति का, जो उप-धारा (1) के अधीन भार के अध्यधीन है, ऐसी सहकारी सोसाइटी की, जिसके हक में उक्त भार है, लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना अन्तरण या अन्यसंक्रामण नहीं करेगा और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस उप-धारा के उल्लंघन में किया गया सम्पत्ति का कोई भी अन्तरण शून्य होगा।

38. First charge of co-operative society on certain assets.— (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, but subject to any prior claim of the Government in respect of land revenue or any money recoverable as land revenue,—

(a) any debt or outstanding demand owing to a co-operative society by any member, past member, deceased member, or a person who executed guarantee thereof for repayment of such debt or demand shall be a first charge upon the crops and other agricultural produce, cattle, fodder for cattle, agricultural or industrial implements, or machinery, raw materials for manufacture and any finished products manufactured from such raw materials, or the property or interest in the assets created out of loan/debt, or property mortgaged as security, belonging to such member, past member or the guarantor/surety thereof or forming part of the assets of the deceased member, as the case may be;

(b) any outstanding demands or dues payable, to a co-operative society formed with the object of providing its members with dwelling houses, by any member or past member in respect of rent, shares, loans or purchase money or any other rights or amount payable to such society shall be a first charge upon his interest in the immovable property of the society.

(2) The charge created under sub-section (1) shall be available as against any claim of the Government arising from a loan granted under the Rajasthan Agricultural Loans Act, 1956 (Act No. 1 of 1957) after the grant of the loan by the society.

(3) No person shall transfer or alienate any property which is subject to a charge under sub-section (1) except with the previous permission in writing of the co-operative society which holds the charge and any transfer of property made in contravention of this sub-section shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, be void.

39. कतिपय सोसाइटियों से उधार लेने वाले सदस्यों की स्थावर सम्पत्ति पर भार— इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(क) कोई भी व्यक्ति, जो किसी सोसाइटी को, जिसका वह सदस्य है, अल्पकालिक उधार से भिन्न किसी उधार के लिए या किसी बैंक प्रत्याभूति के लिए आवेदन करता है और/या कोई व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रत्याभूति का निष्पादन करता है, विहित प्ररूप में घोषणा करेगा जिसमें यह कथन किया जायेगा कि आवेदक और/या प्रत्याभूति-दाता, ऐसी उधार, अग्रिम या, यथास्थिति, प्रत्याभूति की रकम का, जो सोसाइटी आवेदन के अनुसरण में सदस्य को दे और उसके द्वारा समय-समय पर अपेक्षित समस्त भावी अग्रिमों का, यदि कोई हों, सोसाइटी ऐसे सदस्य के रूप में उसे दे, ऐसे अधिकतम, के अध्यधीन रहते हुए, जो सोसाइटी द्वारा अवधारित किया जाये, उधारों तथा अग्रिमों या प्रत्याभूति की ऐसी रकम पर देय ब्याज सहित, अपने स्वामित्वाधीन तथा घोषणा में विनिर्दिष्ट स्थावर सम्पत्ति पर इसके द्वारा भार सृजित करता है;

(ख) खण्ड (क) के अधीन की गई किसी घोषणा में किसी सदस्य या उसके प्रत्याभूति-दाता द्वारा किसी भी समय ऐसी सोसाइटी की, जिसके पक्ष में उक्त भार सृजित किया जाये, सम्मति से फेरफार किया जा सकेगा और भू-राजस्व या भू-राजस्व के रूप में वसूलीय किसी धन के संबंध में सरकार के, या लगान के रूप में वसूलीय किसी धन के संबंध में किसी भू-धारक के, किसी भी पूर्विक दावे के अध्यधीन रहते हुए उक्त घोषणा का वही प्रभाव होगा मानो घोषणा के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति उसमें विनिर्दिष्ट उधार तथा अग्रिम का प्रतिसंदाय करने के लिए सोसाइटी के पास बंधक रखी गई हो और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी घोषणा का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं होगा;

(ग) कोई भी सदस्य खण्ड (क) के अधीन की गयी घोषणा में विनिर्दिष्ट स्थावर सम्पत्ति को पूर्णतः या उसके किसी भाग को तब तक अन्यसंक्रांत नहीं करेगा जब तक सदस्य द्वारा उधार ली गयी सम्पूर्ण रकम का, उस पर के ब्याज सहित संदाय पूर्ण रूप से न कर दिया जाये और इस खण्ड के उल्लंघन में किया गया सम्पत्ति का कोई भी अन्यसंक्रामण शून्य होगा;

(घ) भू-राजस्व या भू-राजस्व के रूप में वसूलीय किसी धन के सम्बन्ध में सरकार के पूर्विक दावों या भूमि विकास बैंक के, उसके शोध्यों के संबंध में दावों के अध्यधीन रहते हुए, उधार और अग्रिमों के मद्दे उसके द्वारा देय-राशियों के लिए और उनकी सीमा तक खण्ड

(क) के अधीन की गयी घोषणा में विनिर्दिष्ट स्थावर सम्पत्ति पर सोसाइटी के पक्ष में प्रथम भार होगा; और

(ङ) घोषणा करने वाले व्यक्ति की किसी कृषि जोत पर, खण्ड (क) के अधीन की गयी किसी घोषणा द्वारा सृजित भार के संबंध में प्रविष्टि, ऐसे व्यक्ति द्वारा या सोसाइटी द्वारा, जिसके पक्ष में भार सृजित किया गया है, ऐसी घोषणा किये जाने के पश्चात् किसी भी समय, तहसीलदार को सीधे या गांव के पटवारी या भू-अभिलेख निरीक्षक की मार्फत आवेदन किया जाने पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) के अध्याय 7 के अधीन रखे जाने वाले वार्षिक रजिस्टरों में, उस अध्याय में और उसके अधीन बनाये गये नियमों में उपबंधित रीति से की जायेगी और तत्प्रयोजनार्थ ऐसा आवेदन उस अधिनियम की धारा 133 के अधीन रिपोर्ट समझा जायेगा।

39. Charge on immovable property of members borrowing loans from certain societies.— Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force—

(a) any person, who makes an application to a society of which he is a member for a loan other than a short term loan or for a bank guarantee and/or a person, who executes a guarantee for such person, shall make a declaration in the prescribed form, which shall state that the applicant and/ or guarantor thereby creates a charge on the immovable property owned by him/them and specified therein for the payment of the amount of the loan, advances or guarantee, as the case may be, which the society may make to the member in pursuance of the application and for all future advances, if any, required by him from time to time which the society may make to him as such member, subject to such maximum as may be determined by the society together with interest on such amount of the loan and advances or guarantee;

(b) a declaration made under clause (a) may be varied at any time by a member or guarantor thereof with the consent of the society in favour of which such charge is created and shall, subject to any prior claim of the Government in respect of land revenue or any money recoverable as land revenue or of a landholder in respect of rent or any money recoverable as

rent, have the same effect as if the property covered by the declaration were mortgaged to the society for the repayment of the loan and advances therein specified and, notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908) or in any other law for the time being in force, the registration of such declaration shall not be compulsory;

(c) no member shall alienate the whole or any part of the immovable property specified in the declaration made under clause (a) until the whole amount borrowed by the member together with interest thereon is paid in full and any alienation of property made in contravention of this clause shall be void;

(d) subject to the prior claims of the Government in respect of land revenue or any money recoverable as land revenue or to the claims of Land Development Bank in respect of its dues, there shall be a first charge in favour of the society on the immovable property specified in the declaration made under clause (a) for and to the extent of the dues owing by him on account of the loan and advances; and

(e) an entry relating to a charge created by a declaration under clause (a) on the agricultural holding of the person making the declaration shall, upon an application made, at any time after such declaration, by such person or by the society, in whose favour the charge is created, to the Tehsildar either direct or through the village Patwari or Land Records Inspector, be made in the annual registers maintained under Chapter VII of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) in the manner provided for in that Chapter and the rules made thereunder and for that purpose, such application shall be deemed to be a report under section 133 of that Act.

40. संयुक्त कृषि सोसाइटी में भूमियों का निहित होना तथा करार का रजिस्ट्रीकरण— (1) इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियमों के अधीन यथावर्गीकृत किसी संयुक्त कृषि सोसाइटी का ऐसा प्रत्येक सदस्य, जिसकी भूमि संबंधित सोसाइटी की उपविधियों में वर्णित रीति से समूहीकृत कर ली गई हैं, संयुक्त कृषि सोसाइटी के साथ,

ऐसी कालावधि को, जिसके लिए भूमि संयुक्त कृषि सोसाइटी में निहित होगी, तथा उस आधार को, जिस पर उसकी आय का अंश अवधारित किया जाएगा तथा ऐसे अन्य मामलों को, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट किये जायें, विनिर्दिष्ट करते हुए, एक करार निष्पादित करेगा।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (1) के अधीन निष्पादित कोई करार तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि ऐसा करार उस क्षेत्र पर, जिसमें भूमियां स्थित हैं, अधिकारिता रखने वाले सब-रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत नहीं कर लिया जाता है।

(3) उप-धारा (1) के अन्तर्गत करार द्वारा समूहीकृत की गई भूमि ऐसे करार की अवधि के समाप्त होते ही सदस्यों में पुनः उसी तरह समाहित हो जायेगी, जैसी कि करार से पूर्व थी।

40. Vesting of lands in joint farming society and registration of agreement.— (1) Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force, every member of a joint farming society as classified under the rules, whose lands have been pooled in the manner set out in the bye-laws of the society concerned, shall execute an agreement with the joint farming society, specifying the period for which the land shall vest in the joint farming society, and the basis on which the share of his income shall be determined and such other matters as may be specified in the bye-laws.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, no agreement executed under sub-section (1) shall be valid unless such agreement is registered by the Sub-Registrar, having jurisdiction over the area in which the lands are situated.

(3) The lands pooled by an agreement under sub-section (1), shall, after the expiry of the period of the agreement, revest in the members, as were before the agreement.

41. कतिपय मामलों में सोसाइटी के दावों की पूर्ति करने हेतु वेतन में से कटौती— (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य सोसाइटी के पक्ष में करार ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाये, यह उपबंध करते हुए निष्पादित कर सकेगा कि उसका नियोजक, नियोजक द्वारा उसे संदेय वेतन या मजदूरी में से ऐसी रकम, जो करार में विनिर्दिष्ट की जाये, काटने और इस प्रकार काटी गयी रकम का सदस्य द्वारा सोसाइटी को

देय किसी ऋण या अन्य मांग की तुष्टि हेतु सोसाइटी को संदाय करने में सक्षम होगा।

(2) ऐसे किसी करार का निष्पादन हो जाने पर नियोजक, यदि सहकारी सोसाइटी द्वारा ऐसी लिखित अध्यपेक्षा की जाये और जब तक उक्त ऋण या मांग या उसका कोई भी भाग असंदत्त रहे, तब तक उस करार के अनुसार कटौती करेगा और इस प्रकार काटी गयी रकम कटौती की तारीख से चौदह दिन के भीतर-भीतर, सोसाइटी को संदत्त करेगा।

(3) जब किसी भी राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गयी किसी सोसाइटी से उस सोसाइटी के किसी ऐसे सदस्य के संबंध में, जो तत्समय इस राज्य में नियोजित हो, लिखित अध्यपेक्षा नियोजक द्वारा प्राप्त की जाये तो अध्यपेक्षा पर इस प्रकार कार्रवाई की जायेगी मानो वह राज्य में की किसी सोसाइटी द्वारा ही की गयी है।

(4) यदि पूर्वगामी उप-धारा के अधीन की गई कोई अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पश्चात्, नियोजक किसी भी समय, संबंधित सदस्य को संदेय वेतन या मजदूरी में से उक्त अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट रकम काटने में विफल रहे या काटी गई रकम सोसाइटी को प्रेषित करने में व्यतिक्रम करे तो नियोजक उस रकम के संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा तथा सोसाइटी की ओर से उससे उक्त रकम भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी और ऐसी बकाया रकम को, नियोजक के ऐसे दायित्व के संबंध में, बकाया मजदूरी की तरह पूर्विकता प्राप्त होगी।

(5) इस धारा के उपबंध उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रकार के ऐसे समस्त करारों पर भी लागू होंगे जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को प्रवृत्त थे।

(6) इस धारा की कोई भी बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 में यथापरिभाषित रेल, तथा खानों और तेल क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी।

41. Deduction from salary to meet society's claims in certain cases.— (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, a member of a co-operative society may execute an agreement, in such form as may be prescribed, in favour of the society providing that his employer shall be competent to deduct from the salary or wages payable to him by the employer, such amount as may be specified in the agreement and to pay the amount so deducted to the society in satisfaction of any debt or other demand owing by the member to the society.

(2) On the execution of such an agreement the employer shall, if so required by the co-operative society by requisition in writing and so long as such debt or demand or any part of it remains unpaid, make the deduction in accordance with the

agreement and pay the amounts so deducted to the society within fourteen days from the date of the deduction.

(3) Where a requisition in writing from any society registered or deemed to be registered under any law in force in any State, in respect of a member of the society who for the time being is employed in this State, is received by the employer, the requisition shall be acted upon as if it had been made by a society in the State.

(4) After receipt of a requisition made under the foregoing sub-section, the employer at any time fails to deduct the amount specified in the requisition from the salary or wages payable to the member concerned or makes default in remitting the amount deducted to the society, the employer shall be personally liable for the payment thereof and the amount shall be recoverable on behalf of the society from him as arrears of land revenue and the amount so due shall rank in priority in respect of such liability of the employer as wages in arrears.

(5) The provisions of this section shall also apply to all such agreements of the nature referred to in sub-section (1) as were in force on the date of the commencement of this Act.

(6) Nothing contained in this section shall apply to persons employed in Railways as defined in Article 366 of the Constitution of India and Mines and Oil fields.

42. किसी सहकारी सोसाइटी की पूंजी में सदस्यों के शेयरों या हितों के सम्बन्ध में भार और मुजराई— (1) सहकारी सोसाइटी को देय किसी भी ऋण या उसकी बकाया मांग के संबंध में, किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पूंजी में शेयर या हितों पर तथा निक्षेपों पर, और किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य को संदेय किसी लाभांश, बोनस या लाभों पर, सहकारी सोसाइटी का भार होगा और वह किसी सदस्य की किसी भी जमा या उसे संदेय किसी राशि को, ऐसे किसी भी ऋण या बकाया मांग के संदाय के प्रति मुजरा कर सकेगी:

परन्तु ऐसे किसी वित्तीय बैंक का, जिससे कोई सहकारी सोसाइटी संबद्ध हो, सोसाइटी द्वारा वित्तीय बैंक में आरक्षित निधि के रूप में विनिहित की गई किसी भी राशि पर कोई भार नहीं होगा यदि वह बैंक, सोसाइटी का एकमात्र ऋणदाता न हो और न वह ऐसी सोसाइटी के नाम जमा या उसे संदेय ऐसी किसी राशि को ऐसी सोसाइटी से शोध्य किसी ऋण के प्रति मुजरा करने का हकदार होगा।

(2) उप-धारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी सहकारी सोसाइटी की पूंजी में किसी सदस्य का शेयर या हित ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा उपगत किसी भी ऋण या दायित्व के संबंध में किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की या विक्रय के दायित्वाधीन नहीं होगा और दिवाले से संबंधित किसी विधि के अधीन किसी शासकीय समनुदेशिती या प्रापक का ऐसे शेयर या हित पर कोई दावा या हक नहीं होगा।

42. Charge and set off in respect of shares or interest of members in the capital of a co-operative society.— (1) A co-operative society shall have a charge upon the share or interest in the capital and on the deposits of a member or a past member and on any dividend, bonus or profits payable to a member or a past member in respect of any debt or outstanding demand owing to the co-operative society and may set off any sum credited or payable to a member towards payment of any such debt or outstanding demand :

Provided that no financing bank to which a co-operative society is affiliated shall, have a charge upon any sum invested in the financing bank as reserve fund by the society if the bank is not the sole creditor of the society, or be entitled to set off any such sum credited or payable to the society towards any debt due from such society.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), the share or interest of a member in the capital of a co-operative society shall not be liable to attachment or sale under any decree or order of any court in respect of any debt, or liability incurred by such member or past member, and an official assignee or a receiver under any law relating to insolvency shall not be entitled to, or have any claim on, such share or interest.

43. कतिपय करों, फीस और शुल्कों से छूट— (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सहकारी सोसाइटियों के किसी वर्ग के संबंध में-

(क) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा या उसकी ओर से या उसके किसी अधिकारी या सदस्य द्वारा निष्पादित और ऐसी सोसाइटी के कारबार से संबंधित किसी लिखत या ऐसी लिखतों के किसी वर्ग के संबंध में या इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी अधिनिर्णय या आदेश के संबंध में, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से ऐसे मामलों में

छूट दे सकेगी जिनमें यदि ऐसी छूट नहीं दी जाती तो, सहकारी सोसाइटी, अधिकारी या, यथास्थिति, सदस्य ऐसे स्टाम्प शुल्क का संदाय करने का दायी होता :

परन्तु इस खण्ड की कोई भी बात विनिमय-पत्रों, चैकों, वचन-पत्रों, उधार-पत्रों, प्रत्यय-पत्रों, बीमा पालिसियों, शेयरों के अन्तरणों, डिबेन्चरों, परोक्षियों और रसीदों पर लागू नहीं होगी;

(ख) दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण या न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संदेय किसी फीस से छूट दे सकेगी;

(ग) (i) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन; या

(ii) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा;

उद्गृहीत या अधिरोपित किसी भी कर, अतिकर, शुल्क या अधिभार से छूट दे सकेगी।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) की कोई भी बात-

(क) सहकारी सोसाइटी के शेयरों से संबंधित किसी लिखत पर, इस बात के होते हुए भी कि सोसाइटी की आस्तियां सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्थावर सम्पत्ति हैं; या

(ख) ऐसी किसी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये और स्थावर सम्पत्ति पर या उसमें कोई भी अधिकार, हक या हित सृजित, घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या समाप्त नहीं करने वाले, किन्हीं भी डिबेंचरों पर सिवाय वहां तक जहां तक कि वे धारक को ऐसी सुरक्षा का हकदार बनाते हैं जो किसी ऐसी रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा प्रदान की गयी है जिसके द्वारा सोसाइटी ने अपनी सम्पूर्ण स्थावर सम्पत्ति या उसका कोई भाग या उसमें कोई हित ऐसे डिबेंचरों के धारकों के लाभार्थ न्यासियों को न्यास पर बंधकित, हस्तांतरित या अन्यथा अंतरित किया है; या

(ग) ऐसी किसी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये किसी डिबेंचर पर किये गये पृष्ठांकन या उसके अन्तरण पर,

लागू नहीं होगी।

43. Exemption from certain taxes, fees and duties.— (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, remit in respect of any class of co-operative societies—

(a) the stamp duty chargeable under any law for the time being in force in

respect of any instrument executed by or on behalf of a co-operative society, or by an officer or member thereof and relating to the business of such society, or any class of such instruments or in respect of any award or order made under this Act in cases where, but for such remission, the co-operative society, officer, or member, as the case may be, would be liable to pay such stamp duty :

Provided that nothing in this clause shall apply in respect of bills of exchange, cheques, promissory notes, bills of lending, letters of credit, policies of insurance, transfer of shares, debentures, proxies and receipts;

(b) any fee payable under any law for the time being in force relating to registration of documents or court fees;

(c) any tax, surtax, duty or surcharge levied or imposed—

(i) by or under any other law for the time being in force; or

(ii) by any local authority.

(2) Nothing in clauses (b) and (c) of sub-section (1) of Section 17 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908) shall apply to—

(a) any instrument relating to shares in a co-operative society, notwithstanding that the assets of the society consist in whole or in part of immovable property; or

(b) any debentures issued by any such society and not creating, declaring, assigning, limiting or extinguishing any right, title or interest to or in immovable property except in so far as it entitles the holder to the security afforded by a registered instrument whereby the society has mortgaged, conveyed or otherwise transferred the whole or part of its immovable property or any interest therein to trustees upon trust for the benefit of the holders of such debentures; or

(c) any endorsement upon or transfer of any debenture issued by any such society.

❑ ❑